

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

7/4/2021 वकुलाम उप।
 वकील बाड़ी ने सा.प.न 10 CPC की बहस व वकील
 उतिवादी ने सा.प.न 0-7R-11 CPC का जवाब पेश
 करने हेतु समझाया, समझ दिया जाऊँर पत्रावली
 दिनांक 11/5/2021 को पेश हो।
 सहायक कलेक्टर
 (एम.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

11/5/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण कोविड-19
 पत्रावली दिनांक 16/6/21 को पेश हो। महामारी

16/6/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण कोविड-19
 पत्रावली दिनांक 19/7/21 को पेश हो। महामारी

12/7/2021 वकुलाम के निवेदन पर पत्रावली नियत
 दिनांक से पूर्व पेश हुई।
 वकील बाड़ी उपस्थित। वकील उतिवादी
 गण सूख्या 1 से 7 उपस्थित।
 उतिवादी सूख्या 8 औपचारिक पक्षकार हैं।
 वकील उतिवादीगण ने उर्ध्वना पत्र मय
 अधिकार पत्र दिनांक 06/09/2018 मय फहरि
 के उस्तुत किया गया। जिसकी उति वकील
 वादी को दिलाई गई। वकील उतिवादीगण
 प्रायः उर्ध्वना-पत्र बाद रक उतिवाद विद्
 किये जाने हेतु आज उस्तुत करने से पत्रावली
 नियत तिथी से पूर्व तलब होकर से
 वकील उतिवादीगण ने उस्तुत उर्ध्वना
 में जाहिर किया कि प्रकरण में पक्षकारों
 के मध्य आपस में यत्नीनामा से मध्य है।
 जिससे उतिवादीगण उतिवाद (माउन्टर क्लेम)

वकील गान्धिलाल
 वाकुलाम
 (ए-पतावे)
 July
 C. S. Des

सहायक कलेक्टर
 (एम.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुए


को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। उतिवाद को
जरिये विडोल खारिज कराना चाहते हैं। बादी
ने पूर्व में वाद विडो किये जाने हेतु उर्वना
पत्र पेश किया है। बाद ग्रस्त आराजी का 1/2
दिससा बादी राठकित से सम्बन्धित पक्षकारान
के विवाद नहीं है। रातीनामा परर-पर पक्षो में
हो गया है। अतः वाद एवं उतिवाद विडो करके।

वकील उतिवादीगण द्वारा उस्तुत उर्वना-
पत्र पर वकील बादी एवं वकील उतिवादीगण
को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। पत्रावली के खलान वाद विडो वाबत
बादी द्वारा उस्तुत उर्वना पत्र दिनांक 31/10/2017
एवं वकील उतिवादी गण द्वारा न्यायालय ऊपर
जिला न्यायाधीश वाली के न्यायालय में उस्तुत
वाद वाबत निरस्त किये जाने विक्रम विलेख
दिनांक 29/11/2013 व स्वार्थ निषेधाज्ञा का
अवलोकन किया गया।

वकील उतिवादीगण द्वारा उस्तुत उर्वना
-पत्र का अवलोकन करने से इस निष्कर्ष
पर पहुंचते हैं। कि उल्लेख में उस्तुत उर्वना-
पत्र के विवेचन से पक्षकारान के मध्य आपस
में रातीनामा होना जाहिर है। उतिवादीगण उतिवाद
को एवं वाद को जरिये विडोल खारिज कराना
चाहते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिवेश से
वाद एवं उतिवाद जरिये विडोवल खारिज किया
जाता है। पत्रावली फेरल सुमार होकर वाद
तकमीत जावता दारिबल दफतर हो। ~~वकील~~
~~उतिवादी~~ ~~गण~~ ~~को~~ ~~सुना~~

निर्णय आज दिनांक 12/07/2021 को सरे
इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)